[Shri Bhupesh Gupta]

There are moves to clinch the purchase of Jaugar aircraft at a cost of Rs. 15 crores. Five per cent commission is supposed to be paid to somebody. Some foreigners are also coming, others are going to step up this deal. This figured in the other House also. Your funds will be involved in it. As you know, in the case of Boeing deal also, some under the table commission was passed to some people. Here also, some commission is likely to be passed to some people under the table. Therefore, Mr. Agarwal, do not ask me to provide the intelligence. Kindly do something about it . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Reconstitution of minorities commission

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, consequent on the resignation of SHRI M. R. Masani as Chairman, Minorities Commission, Government have decided to reconstitute the Minorities Commission with Shri Justice M. R. A. Ansari as Chairman and Prof. V. V. John, Dr. Miss Aloo J. Dastur, Shri Kushak Bakula and Air Chief Marshal Arjan Singh (retired) as Members.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ORISING OUT OF THE ANSWER GIVEN ON THE 18TH JULY, 1978 TO STARRED QUESTION 57 RE COOPERATIVE MOVEMENT IN THE COUNTRY.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, my suggestion is that you take up the last item, *viz.*, Half-an-Hour Discussion. We are given to understand that the Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill, 1978, will be taken up now. I would like it to be repealed now itself. I am not at all for postponing it that way. This is quite a horrible Act. The sooner it goes, the better. If it goes now itself, the better. But it does not matter very much if we kill it tomorrow. Let us all do the killing it together. Many are not here. So, I would ask you to postpone it for tomorrow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Sir. Mr. Bhupesh Gupta has been very anxious about this MISA Repeal Bill being brought in this House. Now it has been brought and he thinks that it would be better to postpone it till tomorrow. The Government does not have any objection.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, the list of business was for two days, *i.e.* for the 26th and the 27th. Even the Customs Tariff (Amendment) Bill was scheduled for the 27th. It has been taken up today. It should not be done. It should have been taken up on the 27th so that the Members could do full justice to it. Similarly, the Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill is meant for tomorrow. Even the Business Advisory Committee decided that it should be discussed on the 27th. Therefore, I would say that the Bills listed for 27th should not be taken up today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): So, we go to Half-an-Hour Discussion. Shri Nathi Singh.

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने 18 जुलाई को एक सवाल यह पूछा था कि देश में जो सहकारी संस्थाएं हैं उनमें बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और करीब करीब 13 प्रदेशों में सहकारी संस्थाएं भंग कर दी

गई हैं, सुपरसीड हो गई हैं तो हमारी सरकार इस संबंध में क्या निर्देश राज्य सरकारों को दे रही है ताकि उनकी स्वायतता को बनाए रखा जाए और उनका लोकतान्त्रिक स्वरूप नष्ट न होने दिया जाए और इस संबंध में राज्य सरकारों ने इन पर क्या कार्यवाही की है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री जी ने एक विवरण सभा पटल पर रखा था जिसमें उन्होंने कहा कि 17 दिसम्बर, 1977 को जो सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने तय किया है कि एक राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाइये जिससे सहकारी आन्दोलन एक स्वायत एवं आत्म-निर्भर आन्दोलन के रूप में चलाया जाएगा जो अनुचित बाह्य हस्तक्षेप तथा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण व राजनीति से भी मुक्त होगा। उसके बाद में आपने यह भी कहा है कि इसके 12 सूत्रों को पूरे तौर से कार्यान्वित करने के लिए एक 42 प्वाइंट प्रोग्राम बनाया गया है और सहकारिता मंत्री जी ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है 3 अप्रैल, 1978 को कि इन निर्देशों को लागू किया जाए। मैं आज जो विवाद उठा रहा हूं उसके पीछे कुछ कारण हैं।

यह जो सवाल है सहकारिता में सरकारी हस्तक्षेप और अगर मैं यह कहूं कि यह सहकारिता से धीरे-धीरे 'ह' हटता चला जा रहा है और उसके स्थान पर 'र' अर्थात् सरकारिता आ गयी है, यह सरकारी मूवमेंट होता चला जा रहा है। इसके संबंध में कई वर्ष से, इस सरकार से नहीं बल्कि पिछली सरकार से भी इस विषय में मांग करते रहे हैं कि इस स्थिति को बदला जाय और उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सदन में कि पिछले सहकारिता मंत्री जी ने भी एक पत्र समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने, कि सहकारी कांग्रेस में यह कहा है कि यह सहकारिता का लोकतांत्रिक या स्वायत्तशाषी स्वरूप बदस्तूर रखा जाय। इसलिए कुछ सुझाव उन्होंने रखे थे कि यह काम किया जाय, रजिस्ट्रार की पावर्स को कम किया जाय लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्हीं सहकारिता मंत्री ने हमें बताया कि जो जवाब मुख्य मंत्रियों के पास से आया है मेरे पास उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मुख्य मंत्री ने चिट्ठियों को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी, रजिस्ट्रार सहकारिता समितियों ने जो ड्राफ्ट बनाकर उनके पास रख दिया उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके चिट्ठी भेज दी है। उसका नतीजा यह हुआ उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जहां 1974-75 में हिन्दुस्तान में 3618 सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों को भंग करके सरकारी अधिकारी प्रशासक के रूप में बिठा दिए गए थे वहां दूसरे साल 1975-76 में यह तादाद लगभग दोगुनी हो गयी और 6327 सहकारी समितियों की प्रबंध समितियां भंग करके वहां सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण कायम कर दिया गया और आज स्थिति क्या है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि एक जगह नहीं बल्कि सारे राज्यों में एक तरफ से चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो, चाहे ए० डी० एम० के० की सरकार हो चाहे वहां जनता पार्टी की सरकार हो जो मंत्री सहकारिता विभाग पाते हैं वही कोशिश यह करते हैं कि चुने हुए तंत्र को समाप्त करो और वहां पर अधिकारियों को बिठाओ और उसके जरिए से कैसे नियंत्रण कायम करो। यह पद्धति, यह नीति सारे देश में चल रही है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक भंग किए गए, 6 स्टेट कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन सब भंग किए गए, वहां उन्होंने एक अजीब प्रथा चलायी कि परसनल इंचार्ज बनायेंगे चाहे किसी पालीटिशयन को बना दिया, इसी तरह से तमिलनाडु में हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश में है, वहां का तो सारा किस्सा सदन में आ चुका है कि वहां सारी समितियां भंग की जा चुकी हैं

[श्री नत्थी सिंह]

नीचे से लेकर, प्राईमरी से लेकर ऊपर तक। नामीनेशन की कोशिश की गयी जब यहां से इन्टरफेयरेंस किया हमारी सरकार ने तब जाकर स्थिति बदली, नामीनेशन बचे। यही हालत यू० पी० में है यही हालत महाराष्ट्र में है जिसको बड़ा अच्छा प्रदेश कहा जाता है, इस नाते से कि यह कोआपरेटिव में बड़ा उन्नत है, वही हालत उड़ीसा में, वही हालत बिहार में और वही हालत राजस्थान में है जहां से मैं भी आता हूं और संयोग से मंत्री जी भी आते हैं। वहां स्थिति क्या है? वहां समस्त शीर्ष संस्था में व 25 सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, सबको भंग कर दिया पुरानी सरकार ने भंग करके चेयरमैनों को प्रशासक कर दिया और उन के नीचे कमेटियां बनी, इसी तरह से 35 भूमि विविकास बैंक इन सभी को भंग कर दिया गया। उन्होने वही कमेटियां बनायी परन्तु जब नयी सरकार आयी तो उन्होंने उन कमेटियों को बिठाकर वहां पर सरकारी अधिकारी लगा दिए थे। 18 तारीख को मेरा यह सवाल था, उपसभाध्यक्ष महोदय 18 तारीख को राजस्थान में एक आदेश आया कि 132 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को भंग किया जाकर वहां पर एस० डी० ओ० को उनका प्रशासक नियुक्त किया गया, एक एस० डी० ओ० के क्षेत्र में 3-3, 4-4 कमेटियां आती हैं, वह प्रशासक रहेंगे यह स्थिति कर दी गयी है। सारे देश में सहकारी आंदोलन को पंगु बनाया जाकर वहां पर सरकारी लोगों को बैठाया जा रहा है और हम कहते हैं कि हम सत्ता का लोकतांत्रिक विकेन्द्रिकरण करना चाहते हैं और इसके विकेन्द्रीकरण की यह हालत है कि प्रदेश में ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to be brief. Otherwise, where is the time for the Minister to reply?

श्री नत्थी सिंह : बहुत जल्दी में कर रहा हूं। राजस्थान में अब तक सहकारिता के कुल 12 मंत्री हुए हैं 2 मंत्रियों को छोड़कर सहकारिता के बारे में इन सरकारों के दो मंत्रियों को छोड़कर हर एक ने यह स्थिति पैदा की है हमारे प्रदेश में। वह दो थे जब नेहरू ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का दिया नागौर में जलाया था सन् 57-58 में वह तो कभी का बुझ बुझा गया, वह दिया अब कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूं, आज क्या हो रहा है राजस्थान में, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं चाहता हूं कि वह कुछ इस संबंध में बतायें कि क्या है। वहां पर एक प्रस्ताव है, सारे देश में है कि भूमि विकास बैंकों को और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को एक कर दिया जाय...

6 P.M.

अब सारी ही संस्थाएं भंग हैं, सैन्ट्रल बैंक भंग हैं, पी० एल० डी० भी भंग हैं। उस वक्त हज़ारी कमेटी बैठी थी। राज्य सरकार में और पूरे हिन्दुस्तान में इस बात पर चर्चा हुई। राज्य सरकारों ने तथा लोगों ने सहकारी आन्दोलन को खत्म करने का विरोध किया और यह तय हुआ कि दोनों संस्थाएं अलग-अलग रहेंगी। लेकिन अब प्रस्ताव हो रहा है कि सभी संस्थाओं को मिला कर एक कर दिया जाए। यही नहीं, राजस्थान में यह भी प्रस्ताव हो रहा है और मुझे बताया गया है कि आर्डिनेन्स का मसौदा तैयार हो गया है कि पहले तो भूमि विकास और सहकारी बैंकों को एक करो, मर्ज कर दो और उसके बाद इन सब को अबालिश करके सिर्फ स्टेट कोआपरेटिव बैंक की शाखाएं कायम कर दो।

राजस्थान में इस तरह जो हम कहते हैं कि ग्रामों का आर्थिक विकास का स्रोत है कोआपरेटिव, वह सारे का सारा नष्ट कर दिया है। यह बात क्यों हो रही है? इसलिये कि वहां पर सब अफसर अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अच्छा मौका है। अगर चुनाव करा दिये गये और चुने हुए लोग संस्था में आ गये तो फिर हमारी योजना पूरी नहीं होगी। इसलिये जब तक

एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक बैठे हैं इसको करा लो। यह कितनी गलत बात है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि सब जगह पर चुनाव कराये जाने चाहियें। यदि इसके स्ट्रक्चर में कोई चेन्ज भी करना चाहें, तो चुने हुए सहकारिता के कार्यकर्ताओं को अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिये। उनकी राय के मुताबिक ही कार्यवाही की जानी चाहिये। यह नहीं कि जो सरकारी लोग कर दें तो फिर बोल ही नहीं सकते। उनका रजिस्ट्रार जो ब्रह्मा, विष्णु महेश इतनी पावर दे रखी है कि वह चाहे जिसको हटा दें, जिस प्रस्ताव को रद्द कर दें, वह पावर हटाई जानी चाहिये। यह बात जरूरी है और इसके बिना इस देश में सहकारी आन्दोलन को जो हम चाहते हैं प्रगति करे और निश्चित रूप से जो विकास में ग्राम समाज की कल्पना करते हैं, दो ही संस्थाएं हैं—एक पंचायत और दूसरी सहकारिता। सहकारिता को इस तरह से नष्ट किया जाए और पंचायत की भी यही हालत है सारे देश में।

इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक विपरीत दिशा में मामला जा रहा है और जो जनता पार्टी वचनबद्ध है कि हम सत्ता का लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण करेंगे, वहां सारी बातें उलट हो रही हैं। 42 सूत्री कार्यक्रम जो तय किया गया है, इसके बारे में दो-तीन सुझाव मैं देना चाहता हूं।

अक्सर कहते हैं कि कोआपरेटिव में गड़बड़ होती है, बेईमानी होती है। उसमें इस तरह से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एक कलम से सबको भंग कर दें इसलिये नहीं कि बेईमानी है, बल्कि इसलिये कि हम तो सिस्टम को बदलेंगे। इसके लिये पावर रजिस्ट्रार को नहीं होनी चाहिये, इण्डिपैन्डैन्ट बाडी होनी चाहिये ताकि जहां गड़बड़ है कि नहीं उसे देख सकें।

चुनाव कराने का भी ठेका सरकार ने ले रखा है और फिर चुनाव ना कराने के बहाने उन्हें भंग करते हैं। अलग चुनाव की एजेन्सी होनी चाहिये। यह मामला इलैक्शन कमिशन को दे दिया जाए जो राज्यों में चुनाव कराये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार जो रोजमर्रा काम करते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जहां सरकारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वहां भ्रष्टाचार, बेईमानी, और मनमानी ज्यादा बढ़ती है, संस्था का नाश हो जाता है। इसलिये सारे का सारा ढांचा बदलना चाहिये। आज गुजरात में डेयरी की संस्था क्यों चल रही है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने अपना सारा जीवन लगा दिया इसलिये वह तरक्की कर रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please wind up; you have also to hear his answer.

श्री नत्थी सिंह : मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सारी स्थिति को बदलें और बदल कर वह स्थिति पैदा करें जिससे कि सहकारिता संस्था सही रूप से विकसित हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Yes, Minister.

SHRI SAWAISINGH SISODIA (Madhya Pradesh): Sir, I have also to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will speak afterwards.

SHRI SAWAISINGH SISODIA Sir, I could also speak and then the Minister could reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): The Minister can reply now. Then

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

you will speak and all the others will speak and later the Minister will reply.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I rise on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Yes, Minister.

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सहकारिता क्षेत्र....

SHRI SAWAISINGH SISODIA Sir, it would have been more convenient if I had been allowed to speak on the subject, and then the Minister would have replied.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): All right.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मान्यवर, मेरे मित्र श्री नत्थी सिंह ने जो बातें कहीं हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं और उनका अनुमोदन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह विषय इतना गम्भीर है कि इसके बारे में और बहुत से तथ्य सदन के सामने और शासन के सामने लाया जाना बहुत जरूरी है। सहकारिता आन्दोलन की उपयोगिता और आवश्यकता को न सिर्फ हमारे राष्ट्र दुनिया के तमाम राष्ट्रों में चाहे वे विकसित हों या अविकसित हों, उन्होंने इस बात की मांग की है कि देश के आर्थिक उत्थान और विकास के लिए पंचायत और सहकारिता आन्दोलन बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। इसीलिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो आज का वर्तमान शासन है उसको भी इस सहकारी आन्दोलन में पूरा विश्वास और आस्था है और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे को गोयल साहब हैं या धारिया साहब हैं उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की और अपने कथनों में समय समय पर इस बात का ऐलान किया है कि वे सहकारिता अन्दोलन के प्रजातांत्रिक स्वरूप को कायम रखेंगे और उसमें जो अफसरशाही का प्रवेश हो रहा है उसको रोकेंगे। लेकिन उनके कहने के बाद भी आज जो स्थिति है वह बद से बदतर हो रही है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो आपकी नीति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट है इसमें भी आपने जोर दिया है कि :

"This is a people's participation in the co-operative movement to a much larger extent than at present."

इसी प्रकार इसके पृष्ठ 48 पर भी कहा है :

"The co-operative movement shall be built up as an autonomous self-reliant movement free from undue outside interference and excessive control as also from politics."

लेकिन आप यह देखेंगे कि धीरे धीरे देश के तमाम प्रान्तों में, जैसा कि अभी नत्थी सिंह जी ने कहा, कम से कम 10-12 ऐसे प्रान्त हैं जहां कि एक आर्डिनेन्स ला कर ग्रामीण स्तर की सहकारिता से ले कर प्रान्तीय स्तर की सहकारी समितियों तक को भंग कर दिया— **विद वन स्ट्रोक आफ पेन**—पूरे प्रजातन्त्र का स्वरूप, जो लोगों को अपना काम खुद करने का अधिकार है जो चुने हुए लोग थे, जो उन सहकारी समितियों का संचालन कर रहे थे, जो पदाधिकारी थे, सदस्य थे, उन सब को हटा दिया गया है। आज परिस्थिति यह है श्रीमन्, मध्य प्रदेश में केवल एक आर्डिनेन्स द्वारा 7000 सहकारी समितियों को समाप्त कर दिया गया। वहां 70,000 नामिनेशन करने के लिए शासन ने कदम उठाया था जिसके लिए यहां हमने आवाज बुलन्द की

और केन्द्रीय शासन ने भी उन लोगों को राय दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अप्रजातांत्रिक है, बहुत घातक है, और उन्होंने वायदा किया था कि हम साल भर में चुनाव कराएंगे। आज ९ महीने हो गए लेकिन चुनाव की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन सब की नीयत यह है कि सहकारी आन्दोलन में अपने लोगों को बैठाया जाए, अधिकारियों को बैठाया जाए और उसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को खत्म कर दिया जाए, चुने हुए लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा: उन तमाम प्रान्तों में जहां इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसको रोकिए। आपका जो ख्याल है कि सहकारिता मंत्रालय राज्य का विषय है मैं इससे सहमत नहीं हूं। माननीय मंत्री जी, मैं इस बात को आपसे कहूंगा कि इस बात पर पुनर्विचार कीजिए। यह जो विषय है यह केवल किसी राज्य का विषय नहीं है, यह आपकी धारणा गलत है।

[Mr. Deputy Chairman in the chair]

मैं आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन का जो सेवेन्थ शेड्यूल है उसकी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं—यह जो लिस्ट है इसमे राज्य के विषयों की सूची दी गई है। इसमें उन्होंने यह बतलाया है केवल कुछ सीमित कार्यों के लिए इस विषय को राज्य की सूची में रखा जाएगा—

"Incorporation, regulation and winding up of the co-operative societies."

इनकारपोरेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन का जो अधिकार उनको दिया गया है, रेगुलेशन के संबंध में समय-समय पर कोई विधान या नियम बना सकते हैं और वाइंडिंग अप आफ दी कोआपरेटिव सोसाइटीज—इन 3 बातों के अलावा बाकी सब कामों के लिए केन्द्रीय शासन को पूरा अधिकार है और केवल इन सीमित कार्यों के बारे में आप ला मिनिस्ट्री से एग्जामिन कराएं और उनके बारे में समय समय पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं जिसमें इस बात को घोषित किया है कि केवल इन 3 सीमित कार्यों के लिए सहकारी समितियों में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। इन तीन बातों को छोड़कर बाकी काम के लिये आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। रिजर्व बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट है। आप देखिये कि उसके अन्तर्गत जितनी बैंकिंग सोसाइटीज हैं जो बैंकिंग का बिजनेस करती हैं उनका रेगुलेशन होता है। वह संसद् ने पास किया है। वह केन्द्र का विषय है। अगर आप इन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और यह कहते रहेंगे कि यह तो राज्य का विषय है, हम इसमें हस्ताक्षेप नहीं कर सकते तो ऐसा करके आप अपने ही अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने सलाह दे दी है और उस काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसका एक प्रजातांत्रिक स्वरूप होना चाहिए और लोगों को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सहकारिता आन्दोलन का जो महत्व है उसको देखते हुए यह कह देने से ही काम नहीं चलेगा कि यह उनका विषय है। वह ही इसको देखेंगे। यह कहना ठीक नहीं होगा। आज सहकारिता आन्दोलन वहां सरकारी विभाग की तरह से काम कर रहा है। आप एक बार इस बात का निर्णय कर लीजिए कि सहकारी आन्दोलन को अब आप सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक सहकारी विभाग के रूप में चलवायेंगे तो ठीक है। लेकिन आपकी यह नीति निर्धारित हो जानी चाहिए। उसके बाद हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न उससे किसी को नाराजगी होगी। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि उसका प्रजातांत्रिक स्वरूप कायम रहेगा और लोगों को आप उसमें काम करने का मौका देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम

[श्री सवाई सिंह सिसोदिया]

उसको डिसेंटलाइज करना चाहते हैं और अधिक से अधिक चुने हुए लोगों को काम करने का अवसर देना चाहते हैं। इन तीनों चीजों के विपरीत अगर कार्य होता है तो सहकारिता आन्दोलन को उससे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। सारी दुनिया के राष्ट्रों में इस बात की चर्चा होती है कि वह हिन्दुस्तान में सहकारिता आंदोलन बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां इतना हस्तक्षेप होता हैं। लोगों के मन में सहकारिता आन्दोलन के लिये बहुत आस्था और विश्वाश है, लेकिन उसके साथ ही यह देख कर दुख होता है कि सरकार का हस्तक्षेप उस में दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने मिल कर आप को इस बात की जानकारी दी है। और इसलिए अन्त में मैं तीन, चार बातें जानकारी के लिये आपके सामने रखना चाहता हूं। आशा है कि आप उन पर पूरी तरह से विचार करके अमल करेंगे। यदि आप ऐसा करें तो आप इस तरह से दखल को रोक सकते हैं।

पहली बात तो यह है कि हमारे केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके द्वारा ही इस कोआपरेटिव मूवमेंट में लगने वाली धनराशि को आज दिया जा रहा है और वह आर्थिक सहायता इस प्रकार गांव के वीकर सेक्शन्स और किसानों तक पहुंचाई जाती है। आप का उन पर पूरा कंट्रोल है। बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत भी आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन हैं या दूसरी संस्थायें हैं उन सब में हमारे केन्द्र का रुपया लगा हुआ है और केन्द्र की धन राशि ही सहकारी समितियों को दी जाती है उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिये, उनके कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए। वह अधिकार आप का है। अगर कोई प्रांतीय शासन आपके डाइरेक्शन को न माने तो आपको यह कठिन कदम उठाना होगा और उनको आप उस सहायता से वंचित कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो काम नहीं चलेगा। आप उनको कहिये कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यह सहायता, यह धनराशि नहीं दी जायेगी। जब तक आप यह सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक आप उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कांस्टीट्यूशनल अधिकार उस से संबंधित है। सहकारिता आन्दोलन को और सहकारिता संबंधी विषयों को आप प्राविंशियल सब्जेक्ट समझ बैठे हैं। इस धारणा को आप मेहरबानी कर के हटायें। यह एक सीमित काम करने के लिए प्राविंशियल लिस्ट में रखा गया है, बाकी इन तीनों चीजों को छोड़ कर:—कोआपरेशन, रेगुलेशन और लिक्वीडेशन को छोड़ कर बाकी सब काम केन्द्र के अन्तर्गत आते हैं और उन सब कामों में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप उनके इन सब कामों में रुकावट पैदा कर सकते हैं यदि वे ठीक से न रहे हों और जिन प्रान्तों में आर्डिनेन्स लगा जहां की विधान सभाओं ने एक्ट पास करके तमाम सहकारी आन्दोलन को सीमित किया है, उन संस्थाओं को खत्म किया है उनके बारे में एक गम्भीर बात सुझाव के रूप में मैं रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का उदाहरण है। यहां राजनीतिक दृष्टि से मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हर एक नया शासन जो आता है उसकी एक नयी राजनीतिक दृष्टि होती है और इसलिये मैं पिछले कांग्रेसी शासन का उदाहरण रखना चाहता हूं। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और उस संबंध में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के सामने एक मेमोरेंडम रखा और कहा कि यह केन्द्र का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और इस आधार

पर असेम्बली ने जो एक्ट पास किया था उस पर प्रेसीडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी। तो आर्डिनेंस लाने के पहले यह जरूरी है कि यदि कोई ऐसा विषय है तो उसमें केन्द्र की सहमति ले ली जाया करे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। लेकिन आज राज्य सरकारें केन्द्र की पूर्व अनुमति के बिना ही आर्डिनेन्स इश्यू कर रही हैं। इसके लिये भी आप उनको रोकिये। हमारा माध्यम तो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति जी के सामने यह सवाल जाना चाहिए कि ऐसे आर्डिनेन्स जिनका संबंध कोआपरेटिव से हो, अगर उनमें पूर्व अनुमति उनकी नहीं है तो उनको स्वीकृति न दी जाये। उनको समाप्त करने का भी कांस्टीट्यूशन में अधिकार है। उसमें राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप कर सकते हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा केन्द्रीय शासन हस्तक्षेप कर सकता है ऐसे जो कि कोआपरेटिव से संबंधित हैं, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित हैं, जो कि हमारे केन्द्र के विषय हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, कोई भी व्यवस्था या कानून हो तो उनको राष्ट्रपति से ऐक्सेंट नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप उसको रोकेंगे किसी प्रान्त में तो आप तुरन्त देखेंगे कि आपकी ऐडवाइस, आपके डाइरेक्शंस को प्रान्तीय शासन मानेगा। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेसी शासन हो, या जनता पार्टी का शासन हो इन चीजों से ऊपर उठकर आपको निर्णय लेना होगा कि अगर हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन को कायम रखना है, जीवित रखना है, उसको जनता के हित में उसको उपयोगी बनाना है, उसकी उपयोगिता और आवश्यकता को महसूस करके उसको फैलाना है, उसका लाभ जनता को देना है, तो इसके लिए सख्ती से कदम उठाने होंगे। ऐक्सेंट वाला प्रश्न बहुत ही आवश्यक है और हितकर है। आप उसे तुरन्त रोक सकते हैं।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कई प्रान्तों में जहां सुपरसेशन उन्होंने किया है संस्थाओं का या अनुचित अधिकार उनको दिये हैं, वहां डाइरेक्शन दीजिए कि अपने आर्डिनेंस और ऐक्ट में जो साल भर की मियाद मुकर्रर की है उसमें डेमोक्रेटिक वे में जो नियम और कानून हैं उनके अनुसार चुनाव क्यों नहीं कराते? चुनाव कराने के लिए जोर आप नहीं दे सकते हैं, यदि डाइरेक्शन आप नहीं दे सकते हैं तो फिर केन्द्रीय शासन का जो अधिकार कांस्टीट्यूशन में रखा है और इतनी बड़ी राशि सहकारी समितियों के लिए, सहकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रान्तों को दी जा रही है वह बन्द करनी चाहिए। वरना आपको खेद इसे छोड़ देना चाहिए कि सहकारी आन्दोलन में हमारा कोई विश्वास नहीं है। इस प्रकार की भावना आपके मन से तुरन्त हटाने की जरूरत है। संविधान के अन्तर्गत जो दूसरे अधिकार हैं उनके अनुसार आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी और समय-समय पर धारिया जी के जो कथन हुए है उनकी हम प्रशंसा करते है, हमको खुशी होती है कि आप सहकारी आन्दोलन की बिगड़ती स्थिति से काफी चिंतित हैं लेकिन कुछ करने की भी कोशिश कीजिए, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे उसके अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। मै यही सुझाव शासन के सामने रखना चाहता हूं।

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to our two friends, Mr. Nathi Singh and Mr. Sawaisingh Sisodia, for raising this question and presenting the whole gamut of grievances as well as the ills of co-operative movement in our country. One of the reasons advanced by the State Government for introducing nomination of officials and overruling the various bodies that they have for the management of co-operatives, etc., through ordinances and so on, is that there is corruption in their ordinary run of

[Shri N. G. Ranga]

work and also at the time of elections. We have organised two meetings, all-India meetings, one for co-operative credit in Madras about two years and six months ago and another for agricultural co-operative movement as a whole at Trivandrum only about eight months ago and we submitted the report of deliberations and resolutions to the Government of India as well as to the State Governments. I do not know whether my hon. friend has had an opportunity of studying those reports. I would be glad if he would study those reports and recommendations.

All these various suggestions that have been made by both our friends are very reasonable and based upon the experience of co-operatives. Sir, co-operation and nomination are in contradiction of each other. Co-operation and ordinance rule is also in contradiction of each other. Co-operation and co-operative movement can be co-operative only when all their bodies are elected and are elective. But, unfortunately, at the time of the elections to cooperatives, there is a lot of gerrymandering, lot of corruption also and mishandling of people, of voters and election procedure itself. And there is corruption in regard to the management of their finances. How to deal with this? The earlier people who got the legislation passed for cooperatives gave too much power to the Registrars and through these Registrars and their subordinates, the local Ministers have been able to play the devil with the very career of cooperatives. We have to get over these difficulties.

We have been suggesting, Sir, the appointment of a quasi-judicial, independent organisation, just like the Election Commission, to organise, manage and then deal with the election disputes. Then, the next suggestion is that the Commission should be fortified by accounting and auditing staff, whose business it should be to deal with the management of the finances of the cooperatives. If we have such an independent organisation which would function independently of the day-to-day politics an political thinking of changing Ministries, then we might be able to have a much better co-operative management in a democratic manner. It is very necessary to institute that kind of a Commission, because we must ensure the democratic aspect of cooperatives.

So far as the democratic aspect of the cooperatives is concerned, our friends have already made the necessary suggestions.

The cooperative movement is bound to play a growing role in the social and economic life of our country and it is necessary that it should do so. That was the reason why Jwaharlal Nehru and so many of us who were cooperating with each other said to the country that we would try our best to establish in this country a cooperative Commonwealth. Unfortunately, the later administrators at the Centre as well as at the State level seem to have forgotten that pledge that we had made before the whole of the country. So many of us also have forgotten similar pledges. This was a much more important pledge and yet it came to be forgotten to such an extent that Ordinance-rule has come to be the usual order of the day ford cooperatives. At present their role is increasing by leaps and bounds. If the present Ministers could only succeed—I am not prepared to say if they are going to be sincere because I take them to be sincere in their professions in regard to the cooperative movement—in making the distribution of various commodities that are needed in the day-to-day life by the ordinary folk in our country, the role of the cooperatives is going to be nearly as important as that of the State Governments themselves. Therefore, the health—political as

well as social—of cooperative movement would be of national concern and this concern can best be displayed by finding ways and means, including what I have myself suggested, by which we can make the cooperative movement an honest movement, a decent movement, a progressive movement, a peoples' movement and a democratic movement. And it could be so only through elected management and non-official management, voluntary management, and not governmental or official management. How could we ensure the success of such a movement, Sir, unless the Government and its Ministers and their political parties keep their hands off the cooperative movement? It is easy to say that, but they would not voluntarily keep their hands off the cooperative movement which is going to be so very important for politics also and for politicians as well. So for that reason it is not enough to leave it to the profession of our politicians. We should create such institutions to control, to co-operate, to guide and to promote the co-opertive movement and to protect the co-operators from themselves as well as the whims of the politicians in our country. I hope my hon'ble friend, who has been put in charge of this and about whom our friend has assured us that he has himself been a co-operator would be able to give his heart and soul to this movement while he continues to be in charge of this and I assure him that he would be rendering great national service, as important a national service as any Chief Minister if only he would try to make this co-operative movement a healthy, wholesome and democratic movement.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): I want to say at the very outset how shabbily and in how clumsy a manner this matter has been brought up on the Agenda. It says:

> "Mr. so and so to raise a discussion on points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 18th July, 1978, to Starred Question 57 regarding cooperative movement in the country."

What is "cooperative moment" I do not understand. The only cooperative moment I could see was the strange cooperative moment between the right extreme and the left extreme in this House, two Members in the right extreme of the House and the right extreme of the House and the do they mean by the word "M-O-M-E-N-T" I do not know. That much about the letter that has been written here.

Another point is how adversely the thin attendance here at this point of time reflects on the Members of this august House on a very important subject like this. I do not want to draw your attention to the logical and legal consequences of the number. I stop at it.

Coming to the spirit, it is a very well known dictum—I quote—"Man is the measure of things." If it applies to anything it applies most to co-operation. And in cooperation what I heard from both sides of this House is correct. Is this co-operation or is this imposition? I have been deeply involved in this co-operative movement for years and I have my own experience. This cooperative movement is a popular movement. It is a popular, democratic movement. Even according to the Five Year Plans it is one of the unofficial popular organs that gives economic, democratic content to our country. The system contributes to a large extent to the State structure itself. That is co-operative movement. But what we now find is a very strange phenomenon. Persons without any connection with cooperation are pressed upon co-operative bodies and elected people are simply removed overnight and officialdom are pitted in their place.

That does not speak well of a Government, whether of the State or of the Centre. This has to be avoided.

After all, the co-operative movement is a cross-section of the social

[Shri K. K. Madhavan]

structure of our country and this social structure should be bereft of all the evils that we inherit from the society. At least the co-operative movement should stand purified from the evils of the society. Every day we are watching the chameleonic changes in politics. Political complexion is changing every day, every minute, not on the basis of any principle or on the basis of any policy. It is a change for convenience, for personal convenience. Almost every day for the last 15 months I have been hearing of the failure of the so-called 30 years. People who have been sitting together in the Government then or co-operating with the then Government in one way or another, either as Ministers or as members of the institutions which they represented, all these thirty years, having enjoyed whatever was the maximum possible out of it, are now coming forward and questioning the purity of the organisation which they represented till last year. It looks very strange. Can we escape the truth?

If this is the type of politics we have, naturally the type of co-operative movement we have also will be like this. Luckily, the co-operative movement starts on a higher plane, on a better standard than our politics, thanks to the selfless people who, not lured by the power of politics, are doing disinterested service, detatched social service in the realm of co-operation. They are the persons to be congratulated, not people unconnected with the movement to be seated there, ousting them. Of course, correction is required when Government funds are misappropriated or misused and certainly the Government is justified, fully justified in stepping in. Nomination by the Government is to safeguard the interests of the Government, to safeguard the money that has been advanced by the Government—either by the Government directly or through financing institutions. *(Time bell rings)*

Another thing is safeguarding the interests of unrepresented elements and interests. That has never been done there. On a point of explanation and I say this from personal experience. The unrepresented people, the poorest section in the social life of this country, are never given the benefit of nomination by the Government. This is a very serious matter. I think the Government both at the Centre and in the States will look into this matter and avoid interference from above.

Thank you, Sir.

श्री रामलखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : श्रीमन्, राष्ट्रीय सहकारिता नीति प्रस्ताव जिसके 12 अनुच्छेद हैं, उसको ही कार्यान्वित करने के लिये 42 प्वाइंट केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दिये गये थे और उसके सम्बन्ध में जो सारी बातों का निर्देश किया गया था उससे यह तो साफ जाहिर है कि जनता पार्टी की सरकार हर हालत में कोआपरेटिव मूवमेन्ट को काफी तेजी से चलाना चाहती है और वह यह भी चाहती है इसे आफिसलाइजेशन स भी दूर रखा जाये और पोलिटिकलाइजेशन से भी दूर रखा जाये। वह यह भी चाहती है कि ग्रामों में यह कोआपरेटिव और भी ज्यादा आगे बढ़े और ग्रामों के जितने भी कार्य हैं वह सभी सहकारिता के अन्दर आवें और इसके अन्दर काम आगे बढ़ता चला जाये। इतना ही नहीं यह भी जनता पार्टी की नीति रही है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए सरकार का रुपया कम लिया जाए। अपने आधार पर रहे तो ज्यादा ठीक होगा कि बनिस्बत कि सरकार की ओर से रुपया मिले। आज जो बातें आई हैं जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं देश के अन्दर बहुत सी सहकारी संस्थाएं हैं उनका सरकारीकरण हो गया है उसका यह भी कारण रहा है कि सरकार के ऊपर सहकारिता आन्दोलन बहुत ज्यादा निर्भर रहा और निर्भर रहने के कारण सरकारी अधिकारियों को सहकारिता में बहुत ज्यादा अधिकार दिए

गए । चाहे अधिकार दिए जाने का प्रश्न हो, चाहे नामीनी का प्रश्न हो, चाहे सुपरसेशन का प्रश्न हो, चाहे डाइरेक्शन का प्रश्न हो, हर जगह पर उसकी मनमानी चली। उसका कारण यह है। यह बात सही है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार का उदाहरण भी कोई कम नहीं है। सहकारिता में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए हर जगह सुपरसेशन होना उचित नहीं है। इसे किसी हालत में जनता शह न दे। अभी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे बिहार में सामने आया। मेरे पास 24 तारीख का आरजावर्त है जिसमें खबर छपी है पत्रकारों को नकद-नारायण पटना-22 जुलाई-लोकतन्त्र के इतिहास में आज बिहार की राजधानी में एक दुखद आश्चर्य से भरी घटना वह हुई जब बिहार के कोआप्रेटिव फेडरेशन के तथाकथित प्रेस सैल की बैठक में आज पत्रकारों के बीच रुपयों के लिफाफे बांटे गए। बैठक में उपस्थित 8 में से 5 पत्रकारों ने लिफाफों को फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मथुरा प्रसाद सिंह की मेज पर फेंक दिया और विरोध में बैठक का बहिष्कार किया। यह बांटे जाने के पूर्व श्री प्रसाद सिंह कह रहे थे कि सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि सहकारी संस्थाओं में जांच के लिए जनता सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का संगठन किया है। तो यह सारी बातें हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार है। मैं यह नहीं कहता कि अब सरकार इन संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले। इसलिए सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वहां पर चुनाव समय पर हों। चुनाव असमय होने के कारण, बहुत उथल-पुथल होने के कारण सहकारिता आन्दोलन ठीक नहीं चल सकता चाहे यह बिहार हो या राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो। हर जगह चुनाव समय पर कराना ही ज्यादा उचित होगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति महोदय, हमारे साथी ने जो कुछ कहा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उन लोगों को अपने राज्यों का अनुभव है और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि अगर सहकारिता में कोई दोष है तो वह 1952 से ले कर आज तक जितने कोआप्रेटिव मिनिस्टर हुए उनका है। मैं नाम नही लूंगा। आपको भी पूरी जानकारी है—इन लोगों के बारे में जितने 6-7 मिनिस्टर 30 सालों में हुए हैं सभी करप्ट और भ्रष्ट मिनिस्टर हुए हैं और उस राज्य में सहकारिता में जितना भ्रष्टाचार हुआ वह सहकारिता के मंत्रियों से ही निकला। जो दो-चार प्रमुख लोग हैं जिन्होंने सहकारी संस्थाओं के रुपये गबन किए हैं वे सहकारिता मंत्री के आस-पास रात दिन बैठने वाले और सहकारिता मंत्री को फाइनेंस करने वाले लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। श्रीमन्, यह खुली हुई बात है और मैं आज भी जो जनता सरकार के सहकारिता मंत्री हैं उनको स्पेयर नहीं करना चाहता। वे भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में पिछले 30 साल के कोआप्रेटिव भ्रष्ट मिनिस्टर हैं। आज का मंत्री भी उसी श्रेणी में शामिल है। श्रीमन्, आज जो माहौल है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के कोआप्रेटिव एक्ट के अनुसार अगर किसी सहकारी संस्था का चुनाव समय पर न हुआ हो और भ्रष्टाचार हो तो सरकार को अधिकार है कि वहां पर बोर्ड को भंग कर के किसी अधिकारी को प्रशासक इस कार्य के लिए नियुक्त करें कि वह दूसरा चुनाव करा दे और उसमें शब्द है कि तुरन्त चुनाव करा दें। चुनाव के लिए पूरा समय 15 दिन का नियुक्त है, अधिक से अधिक प्रशासक को 3 महीने लेने चाहिए लेकिन जनवरी 1975 में हजारों संस्थाओं के बोर्ड भंग किये गये यह कहकर कि समय के अन्दर चुनाव नहीं हुआ और वह प्रशासक जिसको एक महीने के अन्दर चुनाव करा देना चाहिए था आज लगभग 4 साल हो रहे हैं आज तक चुनाव नहीं हुआ और वह

[श्री नागेश्वर प्रशाद शाही]

प्रशासक जो कांग्रेसी शासन में नियुक्त किये गये थे, सरकारी अधिकारी, वह आज भी कायम हैं और उनके माध्यम से सहकारिता मंत्री हर तरह का भ्रष्टाचार चलाता है। मैं दो मिनट में दो उदाहरण आपको देता हूं।

एक सहकारिता मंत्री ने रजिस्ट्रार के गलत आर्डर जारी करा करके अपने परिवार के लोगों को कई लाख रुपये कमवाये और आज वे विशेष पद पर उत्तर प्रदेश में है मैं नाम नही लूंगा उनका।

दूसरा सहकारिता मंत्री ने अपने 7–5 रिश्तेदारों को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में दो हजार ...

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश): बनारसी दास।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: आप नाम लें पर मैं नहीं लूंगा।

तो दो हजार रूपये मासिक तनखवाह पर नियुक्त कर दिया। उसका रिश्तेदार जो होमगार्ड में सिपाही था, कानपुर में पोस्टेड था जब वे मिनिस्टर बने तो उस रिश्तेदार को 2 हजार रुपये मासिक तनखवाह पर बैंक में एक नयी पोस्ट सिक्योरिटी आफिसर की कायम करके उस पर उसको नियुक्त करवा दिया, इल्लीगल तरीके से, बिना किसी कानून कायदे से। तो इस तौर पर मैंने जिक्र किया कि अगर सहकारिता में भ्रष्टाचार है तो इसलिए कि भ्रष्ट मंत्री उसके इंचार्ज हैं और जो घूसखोर बेईमान और चोर हैं, नाजायज पैसा कमाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नाजायज आमदनी करते हैं। तो दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि मैं तो असहाय हूं यह राज्य का विषय है, आप असहाय जरूर हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां आपकी हैं परन्तु आप यह कर सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक माडल कोआपरेटिव्ह एक्ट, रूल्स आप बना सकते हैं और राज्य सरकारों को यह निर्देश कर सकते है कि इस माडल एक्ट को अपने यहां इनेक्ट करो और उसके अनुसार काम करो। आप अगर यह करते तो राज्य के भ्रष्ट कोआपरेटिव्ह मंत्री को अपने घूसखोर अफसरों के माध्यम से रुपया कमाने का और अपने परिवारों को खुशहाल बनाने का मौका नही मिलता। आप अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं यह कहकर कि यह तो राज्य का विषय है। यह राज्य का विषय नहीं है, आज अरबों रुपया जो भारत सरकार का गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वह कोआपरेटिव्ह संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है और वह सही आदमी के पास नहीं पहुंच रहा है क्योंकि साधन ठीक नहीं हैं, राज्य सरकारों की व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप राज्य सरकारों को निर्देश करके अपने माडल एक्ट के द्वारा यहां पर बैंकों का फेडरेशन या कन्ज्यूमर फेडरेशन पर माडल एक्ट बनायें, माडल का बाईलाज बनाये ताकि उनके माध्यम से ठीक से काम हो सके और डिस्ट्रीब्यूटिंग लोनिंग आदि सारा काम ठीक हो सके। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: आप संक्षेप में बोलिये।

श्री कल्पनाथ राय: उपसभापति महोदय, मैं श्री धारिया जी जो यहां मौजूद हैं और कोआपरेटिव्ह की फंक्शनिंग की जो बात हो रही है पंडित जहवाहर लाल नेहरू ने नागपुर के सम्मेलन में यह कहा था कि सहकारिता ही हमारे समाजवाद की आधारशिला है हम सामजवादी ढांचे का समाजवाद बनाना चाहते हैं, हम समाजवाद को लाना चाहते हैं, और समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोग पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में विश्वास करते है। आदरणीय शाही जी कोआपरेटिव्ह मूवमेंट में रहे हैं। जब भी किसी चीज का एक्सपेंरीमेंट किसी कन्ट्री में होता है तो उसमें गड़बड़ियां होती हैं लेकिन बुनियादी

सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं क्या जनता पार्टी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में विश्वास करती है ? क्या जनता पार्टी कोआपरेटिव के बुनियादी सिद्धान्तों पर विश्वास करती है ? क्या जनता पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है ? आदरणीय नत्थी सिंह जी और आदरणीय शाही जी यह दोनों हमारे पुराने समाजवाद के साथी हैं। आप जब तक इन बुनियादी सवालों का अपने दल में कोई कार्यक्रम नहीं बनायेंगे, कि फलां ने चोरी कर ली ** करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार कर लिया।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य इस प्रकार से आरोप न लगाएं।

श्री कल्प नाथ राय : मैं उनका नाम नही लेता। इसको एक्सपंज कर दिया जाए। तो इस तरह की मोटी मोटी बातों से हम पर आरोप लगाए। इस तरह से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। आदरणीय धारिया जी सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता आन्दोलन इनकी उपज है। इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा नोट सारे मैम्बरस आफ पार्लियामेंट को दिया था 1974 में जब मैं यहां मैम्बर पार्लियामेन्ट होकर आया था। सारे देश में उस पर बहस चलाई। लेकिन धारिया जी क्या आप अपने ही जिन विचारों को आपने लिखा था 15-16 महीने से उसमें कोई भी उस दिशा में कदम उठाया है ? यदि आपने एक भी कदम उठाया होता तो मैं मानता कि आप अपनी नीतियों के अनुकूल जनता पार्टी को सही दिशा में ले जा रहे है। सवाल सही नीतियों का है .... Does the Janata Party believe in the co-operative movement? Does it believe in socialism? Does it believe in the public distribution system? If they believe in all these fundamentals, then definitely they will have the co-operative movement for the welfare of the people of this country. लेकिन बुनियादी सवालों पर जनता पार्टी का मतभेद है। रही बात उसकी व्यवस्था की, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे शाही जी कोआपरेटिव मूवमेन्ट मे रहे हैं, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव मिल्क फेडरेशन, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव कन्जयूमर यानि 10-15 संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिनके पास करोड़ों रुपया है लेकिन जो उस कोआपरेटिव को चलाने वाले लोग हैं या जो पार्टिया हैं उनके पास पोलिटिकल बिल नही है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र मे कोआपरेटिव आन्दोलन मजबूत हुआ है, चाहे जनता पार्टी रही या कांग्रेस पार्टी रही। गुजरात में कोआपरेटिव मूवमेन्ट क्यों मजबूत हुआ, मद्रास में कोआपरेटिव मूलमेन्ट क्यों मजबूत हुआ और क्यों नहीं उन इलाकों में कोआपरेटिव मजबूत हुआ जो इलाके फण्डामैन्टली रिएक्शनरी ताकतों के हाथ मे रहे हैं।

तो मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी और आदरणीय धारिया जी से कि देश की बहुत बड़ी सेवा होगी यदि कोआपरेटिव आन्दोलन को आप अपने मंत्रालय के माध्यम से चलाएं। मुझे आपकी नेकनीयती में विश्वास है, आपकी विचार-धाराओं से मैं सहमत हूं। आप जो कोआपरेटिव मूवमैन्ट इस देश में चलाना चाहते हैं हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और मैं आदरणीय शाही जी से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर कांग्रेस सरकार कोआपरेटिव मूवमेन्ट को मजबूत करने मे असफल रही है तो उसके कारण ही आज विरोधी दल में बैठी है। लेकिन जनता पार्टी जो एक माइण्ड के साथ आई है कि हिन्दुस्तान के गरीबों की भलाई करेंगे, जनता का राज्य लायेंगे, मैं इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि चाहे आप यहां रहें या वहां रहें, मैं धारिया जी से विनती करता हूं कि आप

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री कल्प नाथ राय]

कोआपरेटिव मूवमेन्ट को पूरे देश के पैमाने पर एक इन्टैगरेटिड डिवलपमैन्ट यदि करा सकेंगे तो देश के लाखों, करोड़ों गरीब जनता जो कोआपरेटिव के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है आपको धन्यवाद देगी और जनता सरकार को धन्यवाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सहकारिता के संबंध में जहां कुछ विशेष प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया वहां सिद्धांतों के सम्बन्ध में भी कई बातें कहीं हैं। सरकार की नीति के संबंध मे किसी भी प्रकार की शंका रहने की गुंजायश नहीं है कि वह कोआपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंगथेन करने के लिए, इसे देश के कोने-कोने में दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए केवल किमिटेड ही नहीं है बल्कि इसको फैलाने के लिए, यहां तक कि उन क्षेत्रों में विशेषकर जो दूर के इलाके थे, अंडमान और निकोबार के इलाके थे, जहां पर सहकारिता की आज तक छाया भी नहीं गई, आज उन क्षेत्रों के अन्दर राष्ट्रीय स्तर की जो सहकारिता की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो कुछ किया जा सकता है उसको करने में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रख रही है। महोदय, यह स्पष्ट है कि अगर हम देश के अन्दर सोशियो-इकानामिक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो उस रिवोल्यूशन को लाने के लिए हमारे पास सहकारिता के माध्यम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और अगर हम सहकारिता को स्ट्रेंगथेन करना चाहते हैं तो यह भी ठीक है कि इस के डिमोक्रेटिक सेट-अप को हमको मजबूत बनाना होगा, इस के अन्दर जो आफिशियलडम है, अफसरशाही है, उससे मुक्त कराना होगा। आज दुर्भाग्य से जहां भी कहीं इसमें राजनीति के कारण दुर्गुण आए है, कमियां आई हैं, उस राजनीति से इस आंदोलन को मुक्त करना होगा। मैं इसमें और स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति से मुक्त करने की बात जब हम कहते हैं, तो इससे यह दृष्टिकोण न लिया जाए कि सहकारिता में काम करने वाले जो लोग हैं वे राजनीति में रुचि न लें या इससे अलग न हो जाएं। इसका केवल तात्पर्य यह है कि जब हम सहकारिता के आंदोलन में लगे हुए हैं, सहकारिता की सेवा कर रहे हैं, वहां पर जब हम निर्णय लें तो उन निर्णयों को लेते वक्त हारा नजरिया किसी भी प्रकार राजनीति से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इन सारी बातों को समय समय पर दुहराया गया है, इन के बारे में समय समय पर रिपोर्ट लिखी गई है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अभी दिसम्बर, 1977 के अन्दर इसी आधार के ऊपर एक राष्ट्रीय नीति को हमने ग्रहण किया है और उस को केवल ग्रहण ही नहीं किया बल्कि उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसको अधिक स्ट्रेंगथेन करने के लिए 42 पौइन्ट एक्शन प्रोग्राम बनाया था और उस हर एक के अन्दर हमने जो पौइन्ट कवर किए थे वे केवल फार्मेलिटी में पत्र-व्यवहार में नही रह गए बल्कि स्वयं मंत्री महोदय ने अपने ही हाथ से मुख्य मंत्रियों को, सहकारिता मंत्रियों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं, मंत्रालय स्तर पर, सचिवालय स्तर पर लिखे हैं। सचिवों ने राज्यों के अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।

उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रसन्नता की बात है कि सिद्धांन्त रूप में जो कुछ निर्णय हमने लिए उन निर्णयों के आधार पर जो प्रस्ताव पास किए, समस्त राज्यों ने एक राय हो कर उन सिद्धांतों को स्वीकार किया है। उसको यहां पर नहीं छोड़ा गया, मंत्रालय स्तर पर, जो कुछ हमने प्रस्ताव किए हैं, उन पर फालो-

अप ऐक्शन करने के लिए रिपोर्ट मांगी जाती हैं, और मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करूं कि समस्त राज्यों से जो कुछ हमने प्रस्ताव के रूप में पारित किया है उस संबंध में इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया, इस माह के अन्त तक वह रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो इस प्रकार हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, इस बात को स्वीकार करना होगा कि केवल सिद्धांत तय कर देने से काम नहीं चलेगा, केवल नीति निर्धारण करने से काम नही चलेगा। वे लोग जो सहकारिता के आंदोलन को कोई एक व्यवसाय मान कर नही आए, इस को केवल धंधा मान कर नही आए, बल्कि इस को एक आंदोलन मान कर आए हैं, इस की सेवा करने की दृष्टि से, एक डिवोटेड कार्यकर्त्ता होने के नाते, एक समर्पित कार्यकर्त्ता के नाते जब तक नहीं आएंगे तब तक चाहे हम कितनी ही नीतियां, सिद्धांत तय कर लें, हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा बिना किसी पर कोई आरोप लगाये हुए कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर हम ध्यान दें स्थिति रही है इस मूवमेंन्ट की वह यह थी कि उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि किस क्लास को हम वास्तव में इस आन्दोलन के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उन दोनों योजनाओं में जो किया गया, जिस बात पर सारा ध्यान लगाया गया, जिस पर सारी शक्ति लगायी गयी वह यह था कि किस प्रकार आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिये अपने सहकारिता आन्दोलन को हम मजबूत करें और उस के कारण यह हुआ कि कुछ ऐसे प्रभावी लोग जिन का स्वामित्व है, जिन की मोनोपोली है, ऐसे लोग इस आन्दोलन में घुस आये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस वर्ग की ओर जिस को हम उठाना चाहते हैं, ध्यान दिया गया है और उन प्रभावी लोगों से मुक्ति पाने का मार्ग यही है कि जो हमारी सहकारी संस्थायें हैं उन की मेम्बर-शिप ओपेन हो। उस के लिये प्रयास किया जा रहा है। समय पर उस के चुनाव होने चाहिएं और निष्पक्ष होने चाहिएं इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यह आन्दोलन पहले के मुकाबले आज अधिक शुद्ध हुआ है। वह गति ले कर चला है और जिस वर्ग को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उस को पूरा लाभ मिल सके इस को हम देख रहे है।

माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ बात कही है। यह जो रेजोल्यूशन भेजे हैं यह केवल पत्र ही बन कर नही रह गये हैं। उन्होंने इस को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश के संबंध में पिछले सत्र मे काफी चर्चा हुई थी। हमारे मंत्री महोदय ने अपने स्तर पर एक बार नहीं, दो बार नही, और पुराने मुख्य मंत्री जी को नही, वर्तमान मुख्य मंत्री जी को भी अपने स्तर पर जून में एक पत्र फिर लिखा है तो उस स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय धारिया जी ने और आप ने इसमें काफी दिलचस्पी ली और यहां से मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजा कि चुनाव जल्दी कराये जायं और उन्होंने आश्वासन दिया धारिया जी को कि हम जून मे चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन जून खत्म हो गया और अब तो जुलाई भी खत्म होने को आ रही, चुनाव की कोई बात वहां नही है। यह आप की और धारिया जी की जानकारी के लिये मैं बता रहा हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उत्तर प्रदेश के अन्दर आप को जानकर प्रसन्नता होगी कि जो प्राइमरी सोसाइटीज है उन सारी प्राइमरी सोसाइटीज के चुनाव हो चुके है और इस आधार पर . . .

श्री कल्प नाथ राय : नहीं हुए हैं । उपसभापति महोदय, उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि जो सत्य नहीं है । मैं खुद कोग्रापरेटिव का मेम्बर हूं । उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नही हुए है । शाही जी डाइरेक्टर हैं । पूछिये उन से ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : 6 दिन पहले हो चुके ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, प्राइमरी सोसाइटीज जितनी हैं वहां उन सब के चुनाव हो गये हैं उस के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज हैं उन के चुनाव होंगे। यह प्रक्रिया वहां आरम्भ हो गयी है । भारत सरकार की ओर से, यहां के मंत्रालय की ओर से बराबर प्रयास किया जा रहा है और उन प्रयासों के बाद ऐसी स्थिति नहीं दिखायी देती कि जिस के आधार पर कोई उदासीनता या निराशा पैदा हो कि भारत सरकार की ओर से जो प्रयास किये जा रहे हैं उन की कोई प्रतिक्रिया इस मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकारों पर नहीं हुई है ।

अभी माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में कहा है । राजस्थान सरकार द्वारा जैसी कि सूचना दी गयी है उस के आधार पर बताना चाहूंगा कि हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने तय किया था कि लांग टर्म और शार्ट टर्म जो लोन्स हैं उन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिये जो अलग-अलग एजेंसियां हैं वह अलग-अलग न होकर, उन के लिये कोई एक एजेंसी बनायी जाय और उस के माध्यम से ही लांग टर्म और शार्ट टर्म लोन्स दिये जायं, इस को उन्होंने मान लिया और इस के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रत्येक राज्य सरकार को उस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कदम उठाने को कहा है । तो उस आधार पर राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने यह तय किया है कि यह जो दोनों एजेंसियां अलग-अलग हैं वह अलग-अलग नहीं रहेंगी और केवल एक एजेंसी के माध्यम से ही ऋण का वितरण किया जायगा और इस आधार पर उन्होंने मैनेजमेंट्स को सुपरसीड किया है ।

श्री नत्थी सिंह : एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : केन्द्रीय शासन की हजारी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नत्थी सिंह : राजस्थान के बारे में आप ने जो कहा, हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वह यह कह रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है । हजारी कमेटी ने जब स्टेट्स को विजिट किया तो वहां की गवर्नमेंट ने, तत्कालीन गवर्नमेंट ने मिल कर उस का विरोध किया व चुने हुये सहकारी प्रतिनिधियों ने कहा कि दीर्घकालीन व अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं के मर्जर से हमारी समस्यायें बढ़ जायेंगी ।

जो क्रेडिट का मूवमेंट है वह चेक-अप हो जाएगा । यह फैसला हुआ है । जनता सरकार बनने के बाद केन्द्र में यह प्रश्न उठाया गया तो तो यह कहा कि यह सारा मामला फिलहाल स्थगित कर दिया जाता है । उसके बाद बैंक्स सुपरसीड करे दिये गये संस्थायें सुपरसीड कर दी गई इसलिए कि चुने हुए लोग वहां नहीं आयें । कई बार यह फैसला हो गया है कि इसमें केवल अफसरों का या रजिस्ट्रार का प्रबन्ध कर देना चाहिए और नान-आफिशियल को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा । अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो एक फैसला हो गया, उसको रिकंसिडर करना चाहते हैं तो पहले चुनाव हों फिर उनकी राय जानी जाए, उसको अफसरों के आधार पर न

किया जाए। वहां यह भी हो गया है कि इनको मिला दो फिर सब को अपैक्स बैंक की ब्रांच कर दो। इतनी बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहो और ओर नान-आफिशियल को बात करने का मौका नहीं देना चाहते तो यह कौन सा तरीका है ? इसलिए यह प्रोसेस बैंक डोर से की जा रही है यह बड़ी गलत बात है। सीधे चुनाव कराये जायें। झुनझुनु बैंक 10 साल से सुपरसीड है कानूनन दो साल से ज्यादा सुपरसीड नहीं रह सकता लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रथा बड़ी गलत है। अगर स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहते हैं तो पूरा विचार करिये। लेकिन जो लोग मूवमेंट में हित रखते हैं उनकी भी राय जाननी चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जो कुछ भी लिखवा दो उससे परपज सर्व नहीं होगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उप सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के सम्बन्ध में जो अन्य जानकारी दी है मैं उन्हे विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी दी गई उसके आधार पर मैंने सूचना दी है और ज्यादा जानकारी इस प्रकार की दी है कि यह जो गतिविधि है एकदम किस प्रकार बढ़ी, क्या कारण रहे, मैं राजस्थान सरकार से सारी सूचना प्राप्त करूंगा और देखूंगा कि जो डेमोक्रेटिक सैट अप हम सहकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की आंच न आये। हम यह कोशिश करेंगे। लेकिन माननीय सदस्य से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम सदन के अन्दर इलेक्टेड मैम्बर हैं उसी आधार पर अपने विवाद के द्वारा, बहस के द्वारा एक निर्णय लेकर निर्णय देते हैं। हर स्टेट के अन्दर वहां पर इलेक्टेड बाडीज हैं। अगर वह ऐसेम्बलीज किसी प्रश्न पर डिस्कस करके, एक एक क्लाज में विचार करके अगर कोई निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर कुछ तय किया जाता है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा हम उस स्थिति में राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि वह कन्सेंट रोक लें। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का जो प्रश्न आयेगा केवल उस स्तर पर आयेगा जब हमारा कोई सेंट्रल ऐक्ट का प्राविजन अट्रेक्ट होता हो। उस सीमा के अन्दर हम को विचार करना पड़ेगा।

दूसरा यह सुझाव है कि भारत सरकार के पास असीम अधिकार है। भारत सरकार के माध्यम से कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर उनकी एजेंसीज के लिए पैसा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जाता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर वह फिर गम्भीरता से सोचें कि जहां हम कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर एक डेमोक्रेटिक सैट अप को लागू करने की बात करते हैं और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सिद्धान्त रूप में हमने डेमोक्रेटिक सैट अप को स्वीकार किया है तो क्या ऐसी स्थिति के अन्दर चाहे भारत सरकार के पास कितने बड़े अधिकार हों, हम यह उचित समझेंगे कि हम अधिनायक रूप से डिक्टेटोरियल ऐटीट्यूड लेकर क्या इस प्रकार से राज्य सरकारों के मामलों के अन्दर दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप करें ? कोआपरेटिव सब्जैक्ट ऐक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जैक्ट है। भारत सरकार अपनी नीति निर्धारण करती है। उसके आधार पर ही यह एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया पालिसी के रूप में और इसे भेजा गया और जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य के अन्दर कार्यान्वयन किया जाए।

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : भारत सरकार की क्या नीति है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं। जो आपने स्पैसिफिकली उठाया है मैं उसी पर आ रहा हूं।

GMPIPMRND—RS I—832 RS—26-9-7 8—570.

श्री उपसभापति : बुनियादी बात उठाइये ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरी हिम्मत नहीं है कि बुनियादी सवाल को मैं अवाएड कर जाऊं ।

माननीय सदस्य ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में बात कही है । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि माननीय मन्त्री बहुत समय से इस प्रश्न पर बार-बार कह रहे हैं । मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सम्बन्ध में जो पत्र है उस पत्र को केबिनेट में भेजने के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह पत्र केबिनेट में जा रहा है । उसमे किसी प्रकार की दुविधा नहीं है । दूसरी बात यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मिनिस्टरी ने कोई नीति तय की है या नहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है कि हमें वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये भरसक कोशिश करनी चाहिये । राष्ट्रीय परिषद् ने भी स्वीकार किया है । यह केवल नारा बन कर या स्लोगन बन कर नहीं रह गया है ।

श्री कल्प नाथ राय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि. . . (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य मन्त्री महोदय को बोलने दें ।

श्री कल्प नाथ राय : मन्त्री महोदय ने कहा है. .

श्री उपसभापति : इसे रिकार्ड न किया जाए ।

श्री कल्प नाथ राय : रिकार्ड क्यों नहीं किया जाए ?

श्री उपसभापति : योंकि आप बोले जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल . जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये हैं कि सहकारिता आन्दोलन मजबूत बने, सुदृढ़ बने और इसका रूप लोकतन्त्र पर आधारित हो तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार इन प्रश्नों पर, इसको गति देने में, मजबूत बनाने में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखेगी । यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

RE. PLACING OF CORRESPONDENCE BETWEEN THE FORMER HOME MINISTER AND THE PRIME MINISTER BEFORE THE HOUSE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have an announcement to make before we adjourn.

Hon. Members may recall that the Chairman had informed the House on the 24th July, 1978 that he would try to find out some solution in regard to the demand for tabling of the correspondence that took place between the Prime Minister and the former Home Minister, Shri Charan Singh. The matter is still under discussion between the Chairman and the Leader of the House, Leader of the Opposition as well as leaders of other parties and groups in the House. The Chairman would announce the result of his discussion in the matter some time tomorrow.

The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 A.M.

The House then adjourned at eight minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th July, 1978.